Jamna Auto Industries Ltd.

September 10, 2026

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400001 Maharashtra
BSE Code: 520051

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051, Maharashtra
NSE Code: JAMNAAUTO

Subject- Newspaper Advertisement- Notice with respect to opening of Special Window for re-lodgment of transfer requests of physical shares.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-PoD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, we are enclosing herewith, the copy of the newspaper advertisements with respect to Notice to shareholders for opening of special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares published in the Financial Express (Delhi & Chandigarh edition) and Jansatta (Delhi & Chandigarh edition) dated September 10, 2026.

Kindly take the above information on records.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Jamna Auto Industries Limited

PRAVEEN LAKHERA
Digitally signed by PRAVEEN LAKHERA
Date: 2026.09.10 11:07:00 +05'30'

Praveen Lakhera
Company Secretary & Head-Legal
Encl: As above

सार्वजनिक सूचना
मेसर्स सत्याधारा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्द्वारा मैसर्स सत्यधारा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (सीन U92130KL2009PTC023839) के लेनदारों को सूचित किया जाता है कि दिनांकित 09.09.2026 के प्रपत्र ए में प्रकाशित सार्वजनिक घोषणा के मद संख्या 10 के सामने उल्लिखित प्रक्रिया ई–मेल आईडी में कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। अतः सभी लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों की एक प्रति प्रपत्र ए के मद संख्या 09 में दर्शाई गई अंतरिम समाधान पेशेवर की व्यक्तिगत ई–मेल आईडी, अर्थात jossysk@gmail.com पर भी भेजें। हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है।

अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम एवं हस्ताक्षर:
एसडी/– अधिवक्ता जॉसी स्टीफन कदूर
IBBI/IPA-002/IP No.1056/2021-2022/13627
दिनांक: 10.09.2026
स्थान: एर्नाकुलम

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएन: L35911HR1965PLC004485
पंजी. कार्यालय: जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर – 135001, हरियाणा
दूरभाष. 0129-4006885; **वेबसाइट:** www.jaispring.com
ईमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो खोलना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने परिपत्र संख्या SEBIHOMIRSD/MIRSD-PODIPICIRI2025/ 97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के माध्यम से, भौतिक शेयरों से संबंधित ट्रांसफर डीड्स को फिर से जमा करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो प्रदान की थी। ये वे डीड्स थीं जिन्हें निवेशकों ने 01 अप्रैल, 2019 से पहले ट्रांसफर के लिए जमा किया था, लेकिन कमियों के कारण उन्हें अस्वीकृत, वापस कर दिया गया था, या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सेबी ने परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-PoD/ I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के माध्यम से इस विशेष विंडो को एक (1) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विशेष विंडो, 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। पात्र निवेशक ऐसी ट्रांसफर डीड्स को कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के पास, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, 04 फरवरी, 2027 को या उससे पहले फिर से जमा कर सकते हैं। उक्त सर्कुलर के अनुसार, ट्रांसफर के लिए फिर से जमा की गई प्रतिभूतियां (सिक्यूरिटियां) निर्धारित ट्रांसफर–सह–डीमैट प्रक्रिया पूरी होने के बाद केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में ही जारी की जाएंगी। इस विंडो के तहत ट्रांसफर की गई सिक्योरिटीज को पाने वाले के खाते में सिर्फ डीमैट मोड में ही जमा किया जाएगा और ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल की अवधि के लिए उन पर लॉक–इन लागू होगा। लॉक–इन अवधि के दौरान ऐसी सिक्योरिटीज को न तो ट्रांसफर किया जा सकेगा, न ही उन पर कोई लियन या प्लेज मार्क किया जा सकेगा।

निवेशक इस विषय पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आरटीए से भी संपर्क कर सकते हैं: स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी–153 ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020, फोन: 011–40450193–197, ईमेल: grievances@skylinerta.com; parveen@skylinerta.com

भवदीय
जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता. /–
प्रवीण लखेरा
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 9 सितंबर, 2026

वूमनकार्ट लिमिटेड
CIN: L74999DL2018PLC336138
पंजीकृत कार्यालय का पता: एफ–14/57, IIIरी मंजिल, मॉडल टाउन–II, नई दिल्ली–110009
ईमेल आईडी: info@womancart.in, wcart2018@gmail.com, Madhusudanpahwal1970@gmail.com
वेबसाइट: www.womancart.in, **फोन नं.:** +91 9311866860, 91 9811382449

वार्षिक सामान्य बैठक और ई–वोटिंग संबंधी जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 08वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर 2026 को दोपहर 03:00 बजे (भा.मा.स.) में पंजीकृत कार्यालय: एफ–14/57, IIIरी मंजिल, मॉडल टाउन–II, नई दिल्ली–110009 में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमे एजीएम की सूचना में दिए गए कार्यों को निष्पादित किया जायेगा। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025–2026 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के पास पंजीकृत हैं।

रिमोट ई–वोटिंग: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2014 के नियम 20, रर–2 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में, कंपनी एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में निहित हैं, जो सदस्यों को भेजी जा चुकी है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के अनुसार विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. रिमोट ई–वोटिंग के उद्देश्य से कट–ऑफ तिथि 23 सितंबर 2026 है।
2. ई–वोटिंग की अवधि: ई–वोटिंग 27 सितंबर 2026 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और 29 सितंबर 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर हासिल किए हैं और कंपनी के सदस्य बने हैं और कट–ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर 2026 तक शेयर धारक हैं, वे एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए निर्देशों और रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं।
4. केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। हालांकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के पास पहले से पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
5. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भौतिक रूप से भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
6. शेयरधारकों द्वारा ई–वोटिंग सुविधा और ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। यही जानकारी कंपनी की वेबसाइट: www.womancart.in, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट: evoting.nsdl.com पर और एनएसई इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट: https://www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
7. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 011-23353814/15 पर कॉल कर सकते हैं या श्री नरेंद्र देव, वरिष्ठ प्रबंधक को narendrad@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। जो सदस्य बैठक से पहले या उसके दौरान सहायता चाहते हैं, वे evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं या 011-23353814/15 पर संपर्क कर सकते हैं।

वूमनकार्ट लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
मधु सूदन पहवा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07661541

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.09.2026

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
kotak
पंजीकृत कार्यालय : 27-बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051
शाखा कार्यालय : एपिका मॉल, दूसरी मंजिल, 68, 68/1, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली–110015

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें], कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 27–बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 तथा शाखा कार्यालय एपिका मॉल, दूसरी मंजिल, 68,68/1, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली–110015 में स्थित है, के कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण खाता संख्या– HF-41067649 तथा HF-41100470 तथा HF-41069626 तथा HF-41178664 के लिए तिथि 29/05/2026 की मांग सूचना जारी की थी, जिसमें ऋणधारक/कों/पक्षों (1). श्री रोहित कुमार पुत्र श्री जानकी प्रसाद (ऋणधारक तथा बंधककर्ता) (2). श्री जानकी प्रसाद पुत्र श्री भरत (सह–ऋणधारक) (3). श्रीमती कुसुम पत्नी श्री जानकी प्रसाद (सह–ऋणधारक) (4). मैसर्स जे.के. गारमेंट्स (एसआरएल) से उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 34,12,775.48/– (चौंतीस लाख बारह हजार सात सौ पचहत्तर रुपये तथा अड़तालीस पैसे मात्र) का भुगतान करने का आह्वान किया गया था।

उपर्युक्त ऋणधारक(कों)/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा ऋणधारक(कों)/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिथि 08–09–2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

ऋणधारक का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से ऊपर उल्लेखित ऋणधारक(कों)/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता तथा सामान्य जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई भी लेन–देन तिथि 13/05/2026 के अनुसार रु. 34,12,775.48/– (चौंतीस लाख बारह हजार सात सौ पचहत्तर रुपये तथा अड़तालीस पैसे मात्र) की एक राशि एवं तिथि 14/05/2026 से संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज तथा स्थानापन्न ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह संपूर्ण भाग तथा खंड जिसमें शामिल है :– खसरा संख्या 507 के भाग की भूमि पर निर्मित मकान, जिसका माप 800 वर्ग फुट (74.349 वर्ग मीटर) है, कुल निर्मित क्षेत्र 900 वर्ग फुट (83.643 वर्ग मीटर) है, जो ग्राम/मोहल्ला गौरभीठ, वार्ड– फैजुल्ला गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226020 में स्थित है। सीमाएं :–उत्तर : मोहम्मद अजहर का प्लॉट, पूर्व : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : शालिया बेगम का प्लॉट, पश्चिम : सड़क 20 फुट चौड़ी।

तिथि : 08–09–2026, स्थान : लखनऊ (प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
संपर्क पताः-ए-6, तृतीय तल, सेक्टर-4, नोएडा-201301
पंजीकृत कार्यालय: 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
फोन: 011 49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800,
ईमेल: customer.care@herohfl.com वेबसाइट: www.herohousingfinance.com,
सीआईएन: U65192DL2016PLC30148

मांग नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

चूंकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (HHFL) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर यहां सूचीबद्ध ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एक साथ या एक साथ "बाध्यकारी" के रूप में संदर्भित)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित मांग नोटिस/सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने का आह्वान करते हैं। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रदान की गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वाधिकारियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/ कानूनी प्रतिनिधियों, यदि वे चाहें, तो अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त दायित्वाधिकारियों (यों)/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई संबंधित तारीखों से नीचे दिए गए ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के साथ नीचे दी गई राशि, कॉलम (डी) में भुगतान और / या वसूली की तारीख तक ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों के साथ पढ़ें, यदि कोई, उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा निष्पादित गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूति आस्तियों को क्रमशः उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वाधिकारी (ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी (ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल बकाया देय रु में	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
HHFDELHOU 19000001026	स्वर्गीय श्री रमेश सिंह चौहान के कानूनी वारिस, महेश्वरी देवी	02–सितंबर–2026 तक रु. 11,64,747/–	02–09–2026	07–08–2026

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: खसरा नंबर 284/164, गांव शकरपुर खास के इलाके के अंतर्गत, दिल्ली–110092 में बनी हुई संपत्ति का एक हिस्सा (नंबर एच–36),एच–ब्लॉक, शकरपुर की आबादी में स्थित बनी हुई दूसरी मंजिल (अपर ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के ऊपर की मंजिल), छत के स्तर तक, छत के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल 31.78 वर्ग मीटर (लगभग 38 वर्ग गज), साथ ही साइट पर मौजूद पूरा ढांचा, जिसमें एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट/बाथरूम, बालकनी आदि शामिल हैं। सीमाएं: पूर्व: गली, पश्चिम: एच–38 पर दूसरों द्वारा बनाए गए हिस्से, उत्तर: दूसरों की संपत्ति, दक्षिण: एच–36 पर दूसरों द्वारा बनाए गए हिस्से।

* ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से कथित दर पर अतिरिक्त ब्याज,आगे ब्याज के साथ, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को पूर्वोक्त रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (यों)/ अचल संपत्ति (संपत्तियों) के खिलाफ और परिणामों के संबंध में उक्त दायित्वाधिकारी (यों)/कानूनी वारिसों के कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के जोखिम पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा।

उक्त बाध्यताकारियों/ कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (यों) को उक्त अधिनियम के तहत एचएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक: 10.09.2026
स्थान : दिल्ली
हस्ता./ –अधिकृत अधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
,फोन: 011 49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@herohfl.com वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, सीआईएन: U65192DL2016PLC30148
संपर्क पताः–ए–6, तृतीय तल, सेक्टर–4, नोएडा–201301

मांग नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नो

चूंकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (HHFL) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर यहां सूचीबद्ध ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एक साथ या एक साथ "बाध्यकारी" के रूप में संदर्भित)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित मांग नोटिस/सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने का आह्वान करते हैं। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रदान की गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वाधिकारियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/ कानूनी प्रतिनिधियों, यदि वे चाहें, तो अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त दायित्वाधिकारियों (यों)/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई संबंधित तारीखों से नीचे दिए गए ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के साथ नीचे दी गई राशि, कॉलम (डी) में भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों के साथ पढ़ें, यदि कोई, उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा निष्पादित गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूति आस्तियों को क्रमशः उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वाधिकारी (ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल बकाया देय रु. में	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
HHFKRNLAP21000015857	सतीश कुमार के कानूनी वारिस, निर्मला देवी, अरुण कुमार	02–सितंबर–2026 तक रु. 16,03,100/–	02-09-2026 / 04-08-2026

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: समालखा, जिला– पानीपत, हरियाणा–132101 में दुर्गा कॉलोनी में स्थित खाता नंबर 265, खसरा नंबर 54//19/2 (6–18) में शामिल जमीन का अविभाजित हिस्सा (4/138 हिस्सा)वाली आवासीय संपत्ति का वह समस्त हिस्सा और टुकड़ा, जिसका माप 125 वर्ग गज है; क्षेत्रफल 0–4 मरला यानी 125 वर्ग गज है। (श्रीमती निर्मला देवी 30/04/2012 के बिक्री विलेख/सेल डीड वासीका नंबर 458 के अनुसार संपत्ति की मालिक हैं),सीमाएँ: उत्तर–गली; पूर्व: बिजली बोर्ड का क्वार्टर; पश्चिम–राजेश कुमार का प्लॉट; दक्षिण–गली।

* ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से कथित दर पर अतिरिक्त ब्याज,आगे ब्याज के साथ, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को पूर्वोक्त रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (यों)/ अचल संपत्ति (संपत्तियों) के खिलाफ और परिणामों के संबंध में उक्त दायित्वाधिकारी (यों)/कानूनी वारिसों के कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के जोखिम पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा।

उक्त बाध्यताकारियों/ कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (यों) को उक्त अधिनियम के तहत एचएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक: 10.09.2026 स्थान : पानीपत हस्ता./ –अधिकृत अधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

"फार्म नं. आइएनसी–25ए"
सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र बेंच, दिल्ली के समक्ष

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 41 और कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 14, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 के विषय में
और
जीउस ड्रग्स लिमिटेड (CIN: U85121UW2006PLC256952) के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस–21–22, वर्धमान प्लाजा, गढ़ रोड, गांधी आश्रम, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002 में स्थित है। ......**आवेदक**

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने ऊपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है तथा इस बदलाव को लागू करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 04.09.2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को प्राईवेट लिमिटेड में बदलने की इच्छुक है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर **संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली** को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ–पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों और इसकी प्रति आवेदक कंपनी के ऊपर वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय पर डिलीवर करें अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजें:

हिते एवं कृते याचिकाकर्ता
जीउस ड्रग्स लिमिटेड
हस्ता/–
राजीव कुमार शर्मा
निदेशक
डीआइएन: 01970515

तिथि: 10.09.2026
स्थान: मेरठ

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
Aavas — SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ''की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशी जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रुपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा करायें अन्यथा एक्ट की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूचि के अनुसार साम्पिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी का नाम	मांग सूचना की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
सुनीता देवी, राजू राजू, शीतल शीतल, विशाल कुमार जमानतदार : अमन कुमार खाता सं. 221226002570121 व 221226002714239	05 सितम्बर 2026 ₹ 700634/- व ₹ 222055/- 04 सितम्बर 2026	खेत नं. - 644, कुंद्रा, रीचा तहसील जिला - बरेली **क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट**
स्व. श्रीमती सुनीता जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी श्याम सुन्दर, श्याम सुंदर खाता सं. 231218202966001	05 सितम्बर 2026 ₹ 520674/- 04 सितम्बर 2026	प्लॉट नं. 93 का पूर्वी भाग, स्थित खसरा नं. 514 मौजा महोली, अंदरून बृजराज कॉलोनी, तहसील व जिला मथुरा उ.प्र. **क्षेत्रफल 58 वर्ग मीटर**
हरी शंकर, सोम वाटी खाता सं. 241226004116394	05 सितम्बर 2026 ₹ 139762/- 04 सितम्बर 2026	ई.डब्ल्यू.एस. मकान नं.-डी/06, ब्लॉक-07, तीसरी मंजिल, मेगा इको पार्क योजना, पूरनपुर, कुवांटांडा, बरेली, उत्तर प्रदेश 243123
सुमित सिंह, मधु सिंह खाता सं. 241224604173935	05 सितम्बर 2026 ₹ 1029972/- 04 सितम्बर 2026	प्लॉट नं. 24 खसरा नं. 409 के का हिस्सा, कंएच वाके मौजा लोधई तह. व जिला. आगरा उत्तर प्रदेश 283125 **क्षेत्रफल 94.45 वर्ग गज**
अक्षय कुमार, सवीता सवीता, ब्रिजपाल ब्रिजपाल जमानतदार : अरविंद कुमार खाता सं. 241225304491198	05 सितम्बर 2026 ₹ 1072804/- 04 सितम्बर 2026	खसरा नं. 159, स्थित ग्राम मच्छरहेरी तह. व जिला शाहरनपुर उत्तर प्रदेश (भारत) - 247001/ **क्षेत्रफल 152.96 वर्ग मीटर**
चन्दर बीर सिंह, बीना देवी जमानतदार : विकास कुमार खाता सं. 251236804941193	05 सितम्बर 2026 ₹ 1043307/- 04 सितम्बर 2026	वाके-ग्राम/वी कोड 0209, मुहल्ला रविदास नगर नूरपुर, परगना बूढ़तहसील चांदपुर जिला बिजनोर उ.प्र. **क्षेत्रफल 125.11 वर्ग मीटर**
अनुज सैनी, अल्का सैनी, शेर सिंह खाता सं. 241223304564718	05 सितम्बर 2026 ₹ 1021658/- 04 सितम्बर 2026	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 244, ग्राम फरकपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश (भारत) - 251327 / **क्षेत्रफल 215.520 वर्ग मीटर**

स्थान : उत्तर प्रदेश दिनांक 10.09.2026 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

प्रपत्र नं. 14
[विनियम –33(2) देखें]
वसूली अधिकारी कार्यालय– I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–2)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/109/2026 **09-07-2026**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई–कॉर्पोरेशन बैंक)
बनाम
मैसर्स ग्रुप सिक्योरिटी एलाइड सर्विसेज

सेवा में,
(सीडी1) मैसर्स ग्रुप सिक्योरिटी एलाइड सर्विसेज बी–508, सुशांत लोक फेज–1, गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा–122001 **साथ ही:** बी– प्लॉट नंबर 566, उद्योग विहार–5, डाकघर के पास, गुरुग्राम, हरियाणा **साथ ही:** बी–417, प्रथम तल, सुहांत लोक–1, गुरुग्राम, हरियाणा–122009
साथ ही: फ्लैट नंबर 108, आइवरी टावर्स रिट्रीट कॉम्प्लेक्स, साउथ सिटी–1, गुरुग्राम, हरियाणा
साथ ही: डी–220, रतुआ मोहल्ला, कुमार चौक के पास, पृथला, पलवल–121102
साथ ही: फ्लैट नंबर 566, तृतीय तल, फेज– II, ओमेक्स सिटी, पलवल
(सीडी2) श्री महेश तंवर पुत्र श्री विजय पाल फ्लैट नंबर 232, सपना घर अपार्टमेंट, पॉकेट–6बी, सेक्टर– II, द्वारका, नई दिल्ली **साथ ही:** डी–220, रतुआ मोहल्ला, कुमार चौक के पास, पृथला, पलवल–121102

यह सूचित किया जाता है कि **ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (DRT 2)** के पीठासीन अधिकारी द्वारा **TA/726/2022** पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, **रु 9290061 (केवल बानवे लाख नब्बे हजार इकसठ रुपये)** की राशि, **20/11/2018** से वसूली होने तक **@ 12.25 %** साधारण सालाना ब्याज के साथ, और इसके अलावा **95,000 (केवल पचानवे हजार रुपये)** का खर्च आपके विरुद्ध (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से/पूर्ण/सीमित) देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **30.09.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 09.07.2026 को दिया गया।

हस्ता/–
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–2)

डेविन संस रिटेल लिमिटेड
CIN: L14101DL2022PLC393510
पंजीकृत कार्यालय: 609, छठा तल, पी.पी. सिटी सेंटर, प्लॉट नं. 3, रोड नं. 44, पीतमपुरा, रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110034, भारत। फोन नं.: 01149092127,ईमेल आईडी: info@davinsonsretail.com, वेबसाइट: Davin Sons Retail Ltd.

04वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि डेविन संस रिटेल लिमिटेड ("कंपनी") की 04वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") एजीएम की सूचना में वर्णित कार्यों को निष्पादित करने के लिए बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को दोप. 03:00 बजे (भा. मा. स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और इस संबंध में जारी बाद के परिपत्रों, जिनमें नवीनतम परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 है, और सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुसार, कंपनी ने एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को निष्पादित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 08 सितंबर, 2025 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी है जिनके ईमेल पते कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट या डिपेजिटरी के पास पंजीकृत हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 36(1)(बी) के अनुसार, जिन शेयरधारकों की ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एक पत्र भेजा गया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए वेब-लिंक और पाथ प्रदान किया गया है।

2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट Davin Sons Retail Ltd. पर, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के नियम 44 और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण सभा पर सीक्रेटेरियल स्टैंडर्ड - 2 के अनुपालन में, कंपनी को एजीएम में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट डालने के अधिकार का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान करते हुए खुशी हो रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी, और एजीएम के दौरानई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है।

क)	ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि	बुधवार, 23 सितंबर, 2026
ख)	रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ	रविवार, 27 सितंबर, 2026 सुबह 09:00 बजे से
ग)	रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 शाम 05:00 बजे तक

सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों पर रिमोट माध्यम से या एजीएम के दौरान अपना वोट डालने का अवसर होगा। डिमटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले और जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, ऐसे सदस्यों के लिए रिमोट माध्यम से या एजीएम के दौरान वोट करने का तरीका एजीएम बुलाने की सूचना में प्रदान किया गया है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो ईमेल के माध्यम से सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर या इश्यूअर/आरटीए को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, 4थी मंजिल, 'ए' विंग ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 से संपर्क करें या evoting@nsdl.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नं. 1800 210 9911 पर कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का संदर्भ लें।

डेविन संस रिटेल लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
मोहित अरोड़ा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07231072

दिनांक: 08.09.2026
स्थान: नई दिल्ली

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड
सीआईएन: L01111DL1995PLC107286
पंजीकृत कार्यालय : सी–47 जी/एफ, शिवालिक कॉलोनी, मालवीय नगर, शेमरॉक स्कूल के पास, मालवीय नगर (दक्षिण दिल्ली), दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110017. **ईमेल आईडी :** srusteels95@gmail.com; **वेबसाइट :–** www.sru-steels.com; **फोन** +91 7567730702

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, यथा संशोधित ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के विनियम 33 के अनुपालन में, एसआरयू स्टील्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मंगलवार, 08 सितंबर, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों और वित्तीय विवरण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैसर्स बिहारी शाह एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नामतः बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट नामतः www.sru-steels.com पर भी उपलब्ध हैं। सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 47 के अनुपालन में हम एतदद्वारा अधिसूचित करते हैं कि ये परिणाम नीचे दिए गए क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड स्कैन करके भी देखे जा सकते हैं।

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
हस्ता /–
अखिल अरोड़ा
प्रबंध निदेशक और सीएफओ
(डीआईएन : 11329665)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 09 सितंबर, 2026

मैक्सपोज़र लिमिटेड
Maxposure — Content to ROI
CIN: L22229DL2006PLC152087
पंजीकृत कार्यालय: ग्राउंड फ्लोर, 62, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज़-3, नई दिल्ली – 110020
फोन: +91 (11) 43011111. ई-मेल: cs@maxposuremedia.com, वेबसाइट: www.maxposuremedia.com

नोटिस

इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मैक्सपोज़र लिमिटेड ("द कंपनी") के सदस्यों की 20वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को शाम 4:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") की मदद से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एमसीए सामान्य परिपत्र 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 को अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ा जाएगा। ये परिपत्र कंपनी को अनुमति देते हैं कि वह सदस्यों की एक ही स्थान पर उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित कर सकती है। अतः कंपनी के सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्य कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मेल) के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल पता कंपनी के आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

इसके अतिरिक्त, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुपालन में, वेब-लिंक वाला एक पत्र, जहां एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट का संपूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है, उन शेयरधारकों को भी भेजा गया है, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, किन्तु उनका नाम शुक्रवार, 4 सितंबर, 2026, यानी कट-ऑफ तारीख को रजिस्टर में दिख रहा है।

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों-2014 के नियम 20 और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को बिगशेयर/ई-वोटिंग एजेंसी की सेवाओं के माध्यम से एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 है।

अधिनियम की धारा 91 और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि एजीएम के मद्देनज़र कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर/कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 26 सितंबर, 2026 से बुधवार, 30 सितंबर, 2026 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करके ई-मेल पता पंजीकृत अवश्य कराएँ। सदस्यों को उनके ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन, वीसी/ओएवीएम के ज़रिए 20वीं एजीएम में हिस्सा लेने के तरीके और ई-वोटिंग के तरीके के बारे में पूरी जानकारी एजीएम की सूचना में दी गई है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (ए) 20वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा ही किया जाएगा। (बी) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (केवल ईमेल द्वारा) का डिस्पैच कार्य मंगलवार 8 सितंबर, 2026 को पूरा हो गया है। (सी) रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 27 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। (डी) मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। (ई) 20वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.maxposuremedia.com और बिगशेयर की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com/ पर उपलब्ध है तथा (एफ) ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं उसका तरीका जानने हेतु और एजीएम में (वीसी/ओएवीएम के माध्यम से) शामिल होने के लिए, सदस्य एजीएम की सूचना के नोट 22 में दिए गए निर्देशों को देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन के तहत 'शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश' अथवा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और आई-वोट ई-वोटिंग मॉड्यूल https://ivote.bigshareonline.com पर देखे जा सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त सूचना/वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बनता है और शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 (ईवोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि को शेयर-धारक है) उस स्थिति में वह ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित उपरोक्त निर्देशों का पालन कर सकता है। साथ ही, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकता है। जो सदस्य पहले से ही डिपॉजिटरीज़ में ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए अपने मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।

एजीएम में भाग लेने वाले उन सदस्यों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

सुश्री पारुल जैन, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या : F8323) को आगामी एजीएम के लिए संवीक्षक (Scrutinizer) नियुक्त किया गया है ताकि आने वाली एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रोसेस और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा की जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री संदीप मोरे, प्रबंधक, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय संख्या एस6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400093 से की जा सकती हैं अथवा आप sandeep@bigshareonline.com पर ईमेल भेज सकते हैं या +9170454 54395 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिए गए सभी निर्देशों/टिप्पणियों, विशेष रूप से एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

मैक्सपोज़र लिमिटेड की ओर से
Sd/-
प्रिया केसरी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस 22710

दिनांक: 10.09.2026
स्थान: नई दिल्ली

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड
SBFC
पंजीकृत कार्यालय:– यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकला, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059
शाखा का पता: एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, ओ–7, प्रथम तल, लाजपत नगर– II, नई दिल्ली–110024।

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

नीचे उल्लिखित सुरक्षित आस्ति का कब्जा एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') के अंतर्गत नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए लिए जाने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद लिफाफों में अचल संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव/बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है, जो सुरक्षित लेनदार के कब्जे में है, ''जैसी है जहां है के आधार पर'', ''जैसी है जो है के आधार पर'' और ''जैसी है जो कुछ भी है के आधार पर'', नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित प्रत्येक संपत्ति के विरुद्ध होगा और तदनुसार बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% होगी, जिसे इच्छुक बोलीदाता(ओं)/क्रेता(ओं) द्वारा बोली के साथ ''एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में डीडी/पीओ के माध्यम से एसबीएफसी शाखा कार्यालय ''एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, ओ–7, प्रथम तल, लाजपत नगर– II, नई दिल्ली–110024।'' में 28.09.2026 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) जमा करना आवश्यक होगा। सफल बोलीदाता/क्रेता बिक्री प्रतिफल का कम से कम 25% (बोली के साथ भुगतान की गई ईएमडी राशि सहित, बिक्री की पुष्टि के उसी दिन या अगले कार्य दिवस से देर नहीं, जमा करेगा। शेष बिक्री प्रतिफल बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक होगा। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का पता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (आर.पी.)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आर.पी. का 10%)	कुल ऋण बकाया राशि (दिनांक 31.08.2026 तक
1. विनोद कॉफी कोल्ड्रिंक शॉप, मयूर विहार, पीएच–1, गैलेरिया मॉल, गेट नंबर 3, दिल्ली– 110091 2. विरेन्द्र कुमार, 3. दुर्गा देवी, 4. राम किशोर, 5. गोमती देवी, पता: बाईके झुग्गी कैंप, यमुना खादर, चिल्ला सरोदा खादर, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110091 और साथ ही, 1क विनोद कॉफी कोल्ड्रिंक शॉप, फ्लैट नं.सी–6, दूसरी मंजिल पर, प्लॉट नं.एफ–20 और प्लॉट नं.एफ–21,खसरा नंबर 156ए, साई उपवन, गांव यूसुफपुर चक सबेरी, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश–201012	मांग सूचना की तिथि: 06.03.2023 रु. 11,86,493/- (रु. ग्यारह लाख छियासी हजार चार सौ तिरान्वे मात्र) दिनांक 02.03.2023 तक प्लस दिनांक 03.03.2022 से लागू ब्याज इत्यादि	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. सी–6 दूसरी मंजिल क्षेत्रफल 34 वर्ग मीटर (बिना छत के अधिकार) प्लॉट नंबर एफ–20 और एफ–21 खसरा नंबर 156ए, साई उपवन गांव यूसुफपुर दादरी गौतम बुध नगर	रु. 9,50,000/- (रु. नौ लाख पचास हजार मात्र)	रु. 95,000/- (रु. पिच्चान्वे हजार मात्र)	रु. 18,57,530/- (रु. अट्ठारह लाख सत्तावन हजार पाँच सौ तीस मात्र)

1. निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्रों में मुहरबंद बोली/प्रस्ताव, बयाना राशि तथा स्व-सत्यापित केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि 28/09/2026 को या उससे पूर्व 05:00 बजे अपराह्न है, जो यहां ऊपर उल्लिखित प्रधान/शाखा कार्यालय के पते पर जमा किया जाना है। जो निविदाएं/बोलियां भरी हुई नहीं हैं अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अमान्य मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकार कर दी जाएंगी। 2. बयाना राशि का भुगतान नई दिल्ली-110024 में देय मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से "एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में किया जाना चाहिए, जो असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 21/09/2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न के बीच है। 4. संपत्ति की बोली/प्रस्ताव खोलने की तिथि (नीलामी तिथि) 29/09/2026 को उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर 12:30 बजे अपराह्न है। निविदा/बोली प्राधिकृत अधिकारी तथा सभी बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी। 5. बोली 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) के वृद्धि मूल्य से प्रारंभ होगी। इसके पश्चात सभी बोलियां वृद्धि मूल्य के गुणकों में बढ़ाई जाएंगी। 6. संपत्ति उस बोलीदाता को बेची जाएगी जो सर्वाधिक बोली राशि उद्धृत करेगा। आपसी बोली प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेकाधिकार पर होगी। तथापि, प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री को स्थगित/आगे के लिए टालने की पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा। संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 7. सूचना में उल्लिखित बकाया राशि तथा आकस्मिक व्यय, लागत आदि पर ऋण करार के अनुसार लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज उसकी वसूली तक देय और भुगतान योग्य होगा। 8. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त प्रधान/शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं। 9. सभी शुल्क, प्रभार, कर, जिनमें अंतरण/हस्तांतरण प्रभार, अवैतनिक विद्युत शुल्क, नगर निगम/स्थानीय कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, केवल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 10. नीलामी क्रेता/सर्वोच्च बोलीदाता आयकर नियमों के अनुसार लागू स्रोत पर कर कटौती, वर्तमान में 1%, बिक्री के विरुद्ध एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (एसबीएफसी) के स्थायी खाता संख्या में जमा करेगा और बिक्री प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व अपेक्षित प्रपत्र/दस्तावेज, वर्तमान में प्रपत्र 26क्यूबी कहलाता है, आरएफएल के पास जमा करेगा। उक्त स्रोत पर कर कटौती की राशि नीलामी क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल में से काटी जाएगी। 11. प्रतिभूत संपत्ति पर सभी देय राशि/बकाया/अवैतनिक कर, जिसमें बिक्री कर, संपत्ति कर आदि सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, अथवा प्रतिभूत संपत्ति पर कोई अन्य देय राशि, वैधानिक अथवा अन्यथा, क्रेता द्वारा अलग से वहन की जाएगी। 12. प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार: शून्य। 13. सफल बोलीदाता बोली राशि का 25% (बयाना राशि समायोजित करने के पश्चात) तत्काल जमा करेगा और शेष 75% राशि 15 दिनों के भीतर देय होगी। बिक्री मूल्य का उक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहने पर सभी जमा राशियां, जिसमें बयाना राशि भी शामिल है, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जब्त कर ली जाएंगी। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में शेष 75% भुगतान करने हेतु अतिरिक्त उचित समय का विस्तार देना प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेकाधिकार पर होगा। 14. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उसकी जानकारी, विश्वास एवं अभिलेखों के अनुसार सर्वोत्तम रूप से दिए गए हैं। किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक आदि के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा। 15. बोली हस्तांतरणीय नहीं है। क्रेता(ओं)/सफल बोलीदाता(ओं) और/या उनके माध्यम से या उनके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूत संपत्ति की बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार नहीं होगा। 16. बैंकर्स चेक या मांग ड्राफ्ट 'एम/एस. एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में नई दिल्ली-110024 में देय होना चाहिए। 17. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना एतद्द्वारा दी जाती है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी। यदि उधारकर्ता बिक्री की तिथि से पूर्व एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) को देय राशि का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो नीलामी रोकी जा सकती है। 18. उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे यहां ऊपर वर्णित अचल संपत्ति को बिक्री के नियम एवं शर्तों के विवरण के अनुसार खरीदने के इच्छुक खरीदारों/क्रेताओं को ला सकते हैं। 19. इच्छुक पक्ष आगे के विवरण/स्पष्टीकरण तथा अपना आवेदन/बोली जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी: श्री सुनील कुमार, मोबाइल नं. +91 9910190890, ई-मेल आईडी: suneel.kumar2@sbfc.com प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित शर्मा, मोबाइल नं. +91 8588015491, ई-मेल आईडी: rohit.sharma8@sbfc.com 20. स्थानीय भाषा में प्रकाशित प्रकाशन में किसी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय भाषा के समाचार पत्र पर प्रभावी होगा।

स्थान: नई दिल्ली–110024
तिथि: 10 सितम्बर 2026
हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
मेसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

मेसर्स सत्याधारा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्द्वारा मैसर्स सत्यधारा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (सीन U92130KL2009PTC023839) के लेनदारों को सूचित किया जाता है कि दिनांकित 09.09.2026 के प्रपत्र ए में प्रकाशित सार्वजनिक घोषणा के मद संख्या 10 के सामने उल्लिखित प्रक्रिया ई–मेल आईडी में कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। अतः सभी लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों की एक प्रति प्रपत्र ए के मद संख्या 09 में दर्शाई गई अंतरिम समाधान पेशेवर की व्यक्तिगत ई–मेल आईडी, अर्थात jossysk@gmail.com पर भी भेजें। हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है।

अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम एवं हस्ताक्षर

एसडी/– अधिवक्ता जॉसी स्टीफन कदूर

IBBI/IPA-002/IP No.1056/2021-2022/13627

दिनांकः 10.09.2026

स्थानः एर्नाकुलम

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L35911HR1965PLC004485

पंजी. कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर – 135001, हरियाणा

दूरभाष. 0129-4006885; **वेबसाइटः** www.jaispring.com

ईमेल आईडीः investor.relations@jaispring.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो खोलना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने परिपत्र संख्या SEBIHOMIRSD/MIRSD-PODIPICIRI2025/ 97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के माध्यम से, भौतिक शेयरों से संबंधित ट्रांसफर डीड्स को फिर से जमा करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो प्रदान की थी। ये वे डीड्स थीं जिन्हें निवेशकों ने 01 अप्रैल, 2019 से पहले ट्रांसफर के लिए जमा किया था, लेकिन कमियों के कारण उन्हें अस्वीकृत, वापस कर दिया गया था, या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सेबी ने परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-PoD/ I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के माध्यम से इस विशेष विंडो को एक (1) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विशेष विंडो, 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। पात्र निवेशक ऐसी ट्रांसफर डीड्स को कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के पास, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, 04 फरवरी, 2027 को या उससे पहले फिर से जमा कर सकते हैं। उक्त सर्कुलर के अनुसार, ट्रांसफर के लिए फिर से जमा की गई प्रतिभूतियां (सिक्यूरिटियां) निर्धारित ट्रांसफर–सह–डीमैट प्रक्रिया पूरी होने के बाद केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में ही जारी की जाएंगी। इस विंडो के तहत ट्रांसफर की गई सिक्योरिटीज को पाने वाले के खाते में सिर्फ डीमैट मोड में ही जमा किया जाएगा और ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल की अवधि के लिए उन पर लॉक–इन लागू होगा। लॉक–इन अवधि के दौरान ऐसी सिक्योरिटीज को न तो ट्रांसफर किया जा सकेगा, न ही उन पर कोई लियन या प्लेज मार्क किया जा सकेगा।

निवेशक इस विषय पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आरटीए से भी संपर्क कर सकते हैंः स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी–153 ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020, फोनः 011–40450193–197, ईमेलः grievances@skylinerta.com; parveen@skylinerta.com

भवदीय

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

हस्ता./–

प्रवीण लखेरा

कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख

स्थानः फरीदाबाद

दिनांकः 9 सितंबर, 2026

वूमनकार्ट लिमिटेड

CIN: L74999DL2018PLC336138

पंजीकृत कार्यालय का पताः एफ–14/57, IIIरी मंजिल, मॉडल टाउन–II, नई दिल्ली–110009

ईमेल आईडीः info@womancart.in, wcart2018@gmail.com, Madhusudanpahwal1970@gmail.com

वेबसाइटः www.womancart.in, फोन नं.: +91 9311866860, 91 9811382449

वार्षिक सामान्य बैठक और ई-वोटिंग संबंधी जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 08वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर 2026 को दोपहर 03:00 बजे (भा.मा.स.) में पंजीकृत कार्यालयः एफ–14/57, IIIरी मंजिल, मॉडल टाउन–II, नई दिल्ली–110009 में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमे एजीएम की सूचना में दिए गए कार्यों को निष्पादित किया जायेगा। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025–2026 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के पास पंजीकृत हैं।

रिमोट ई–वोटिंगः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2014 के नियम 20, रर–2 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में, कंपनी एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में निहित हैं, जो सदस्यों को भेजी जा चुकी है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के अनुसार विवरण नीचे दिए गए हैंः

1. रिमोट ई–वोटिंग के उद्देश्य से कट–ऑफ तिथि 23 सितंबर 2026 है।
2. ई–वोटिंग की अवधिः ई–वोटिंग 27 सितंबर 2026 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और 29 सितंबर 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर हासिल किए हैं और कंपनी के सदस्य बने हैं और कट–ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर 2026 तक शेयर धारक हैं, वे एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए निदेशों और रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं।
4. केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। हालांकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के पास पहले से पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
5. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भौतिक रूप से भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
6. शेयरधारकों द्वारा ई–वोटिंग सुविधा और ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। यही जानकारी कंपनी की वेबसाइटः www.womancart.in, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइटः evoting.nsdl.com पर और एनएसई इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटः https://www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
7. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 011–23353814/15 पर कॉल कर सकते हैं या श्री नरेंद्र देव, वरिष्ठ प्रबंधक को narendrad@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। जो सदस्य बैठक से पहले या उसके दौरान सहायता चाहते हैं, वे evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं या 011–23353814/15 पर संपर्क कर सकते हैं।

वूमनकार्ट लिमिटेड के लिए

हस्ता./–

मधु सूदन पहवा

प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 07661541

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 04.09.2026

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27–बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051

शाखा कार्यालय : एपिका मॉल, दूसरी मंजिल, 68, 68/1, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली–110015

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें, कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 27–बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 तथा शाखा कार्यालय एपिका मॉल, दूसरी मंजिल, 68,68/1, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली–110015 में स्थित है, के कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण खाता संख्या– HF-41067649 तथा HF-41100470 तथा HF-41069626 तथा HF-41178664 के लिए तिथि 29/05/2026 की मांग सूचना जारी की थी, जिसमें ऋणधारक/कों/पक्षों (1). श्री रोहित कुमार पुत्र श्री जानकी प्रसाद (ऋणधारक तथा बंधककर्ता) (2). श्री जानकी प्रसाद पुत्र श्री भरत (सह–ऋणधारक) (3). श्रीमती कुसुम पत्नी श्री जानकी प्रसाद (सह–ऋणधारक) (4). मैसर्स जे.के. गारमेंट्स (एसआरएल) से उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 34,12,775.48/– (चौंतीस लाख बारह हजार सात सौ पचहत्तर रुपये तथा अड़तालीस पैसे मात्र) का भुगतान करने का आह्वान किया गया था।

उपर्युक्त ऋणधारक(कों)/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतदद्वारा ऋणधारक(कों)/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिथि 08–09–2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

ऋणधारक का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से ऊपर उल्लेखित ऋणधारक(कों)/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता तथा सामान्य जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई भी लेन–देन तिथि 13/05/2026 के अनुसार रु. 34,12,775.48/– (चौंतीस लाख बारह हजार सात सौ पचहत्तर रुपये तथा अड़तालीस पैसे मात्र) की एक राशि एवं तिथि 14/05/2026 से संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज तथा स्थानापन्न ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह संपूर्ण भाग तथा खंड जिसमें शामिल है :– खसरा संख्या 507 के भाग की भूमि पर निर्मित मकान, जिसका माप 800 वर्ग फुट (74.349 वर्ग मीटर) है, कुल निर्मित क्षेत्र 900 वर्ग फुट (83.643 वर्ग मीटर) है, जो ग्राम/मोहल्ला गौरभीठ, वार्ड– फैजुल्ला गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226020 में स्थित है। सीमाएं :–उत्तर : मोहम्मद अजहर का प्लॉट, पूर्व : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : शालिया बेगम का प्लॉट, पश्चिम : सड़क 20 फुट चौड़ी।

तिथि : 08–09–2026, स्थान : लखनऊ (प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

संपर्क पताः ए-6, तृतीय तल, सेक्टर-4, नोएडा-201301

पंजीकृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800,

ईमेलः customer.care@herohfl.com वेबसाइटः www.herohousingfinance.com,

सीआईएनः U65192DL2016PLC30148

मांग नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

चूंकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (HHFL) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर यहां सूचीबद्ध ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एक साथ या एक साथ "बाध्यकारी" के रूप में संदर्भित)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित मांग नोटिस/सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने का आह्वान करते हैं। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रदान की गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है, और उक्त दायित्वाधिकारियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/ कानूनी प्रतिनिधियों, यदि वे चाहें, तो अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त दायित्वाधिकारियों (यों)/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई संबंधित तारीखों से नीचे दिए गए ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के साथ नीचे दी गई राशि, कॉलम (डी) में भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों के साथ पढ़ें, यदि कोई, उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा निष्पादित गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूति आस्तियों को क्रमशः उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वाधिकारी (ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी (ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल बकाया देय रु में	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
HHFDELHOU 19000001026	स्वर्गीय श्री रमेश सिंह चौहान के कानूनी वारिस महेश्वरी देवी	02–सितंबर–2026 तक रु. 11,84,747/–	02–09–2026	07–08–2026

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरणः खसरा नंबर 234/164, गांव शकरपुर खास के इलाके के अंतर्गत, दिल्ली–110092 में बनी हुई संपत्ति का एक हिस्सा (नंबर एच–36),एच–ब्लॉक, शकरपुर की आबादी में स्थित बनी हुई दूसरी मंजिल (अपर ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के ऊपर की मंजिल), छत के स्तर तक, छत के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल 31.78 वर्ग मीटर (लगभग 38 वर्ग गज), साथ ही साइट पर मौजूद पूरा ढांचा, जिसमें एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट/बाथरूम, बालकनी आदि शामिल हैं। सीमाएं: पूर्व: गली, पश्चिम: एच–36 पर दूसरों द्वारा बनाए गए हिस्से, उत्तर: दूसरों की संपत्ति, दक्षिण: एच–36 पर दूसरों द्वारा बनाए गए हिस्से।

* ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से कथित दर पर अतिरिक्त ब्याज,आगे ब्याज के साथ, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को पूर्वोक्त रूप से भुगतान करने में विफल रहता है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (यों)/ अचल संपत्ति (संपत्तियों) के खिलाफ और परिणामों के संबंध में उक्त दायित्वाधिकारी (यों)/कानूनी वारिसों के कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के जोखिम पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा।

उक्त बाध्यताकारियों/ कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (यों) को उक्त अधिनियम के तहत एचएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांकः 10.09.2026 | हस्ता/ –अधिकृत अधिकारी,

स्थान : दिल्ली | कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

,फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com वेबसाइटः www.herohousingfinance.com, सीआईएनः U65192DL2016PLC30148

संपर्क पताः–ए–6, तृतीय तल, सेक्टर–4, नोएडा–201301

मांग नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नो

चूंकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (HHFL) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर यहां सूचीबद्ध ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एक साथ या एक साथ "बाध्यकारी" के रूप में संदर्भित)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित मांग नोटिस/सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने का आह्वान करते हैं। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रदान की गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है, और उक्त दायित्वाधिकारियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/ कानूनी प्रतिनिधियों, यदि वे चाहें, तो अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त दायित्वाधिकारियों (यों)/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई संबंधित तारीखों से नीचे दिए गए ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के साथ नीचे दी गई राशि, कॉलम (डी) में भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों के साथ पढ़ें, यदि कोई, उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा निष्पादित गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूति आस्तियों को क्रमशः उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वाधिकारी (ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल बकाया देय रु में	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
HHFKRNLAP21000015657	सतीश कुमार के कानूनी वारिस, निर्मला देवी, अरुण कुमार	02–सितंबर–2026 तक रु. 16,03,100/–	02-09-2026 / 04-08-2026

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरणः समालखा, जिला– पानीपत, हरियाणा–132101 में दुर्गा कॉलोनी में स्थित खाता नंबर 265, खसरा नंबर 54//19/2 (6–18) में शामिल जमीन का अविभाजित हिस्सा (4/138 हिस्सा)वाली आवासीय संपत्ति का वह समस्त हिस्सा और टुकड़ा, जिसका माप 125 वर्ग गज है; क्षेत्रफल 0–4 मरला यानी 125 वर्ग गज है। (श्रीमती निर्मला देवी 30/04/2012 के बिक्री विलेख/सेल डीड वासीका नंबर 458 के अनुसार संपत्ति की मालिक हैं),सीमाएँ: उत्तर–गली; पूर्व बिजली बोर्ड का क्वार्टर; पश्चिम–राजेश कुमार का प्लॉट; दक्षिण–गली।

* ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से कथित दर पर अतिरिक्त ब्याज,आगे ब्याज के साथ, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को पूर्वोक्त रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (यों)/ अचल संपत्ति (संपत्तियों) के खिलाफ और परिणामों के संबंध में उक्त दायित्वाधिकारी (यों)/कानूनी वारिसों के कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के जोखिम पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा।

उक्त बाध्यताकारियों/ कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (यों) को उक्त अधिनियम के तहत एचएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांकः 10.09.2026 स्थान : पानीपत हस्ता/ –अधिकृत अधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

"फार्म नं. आइएनसी–25ए"

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र बेंच, दिल्ली के समक्ष

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 41 और कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 14, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 के विषय में

और

जीउस ड्रग्स लिमिटेड (CIN: U85121UW2006PLC256952) के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस–21–22, वर्धमान प्लाजा, गढ़ रोड, गांधी आश्रम, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002 में स्थित है। ......**आवेदक**

सामान्य जनता को एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने ऊपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है तथा इस बदलाव को लागू करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 04.09.2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को प्राईवेट लिमिटेड में बदलने की इच्छुक है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर **संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली** को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ–पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों और इसकी प्रति आवेदक कंपनी के ऊपर वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय पर डिलीवर करें अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजें:

हिते एवं कृते याचिकाकर्ता

जीउस ड्रग्स लिमिटेड

हस्ता/–

राजीव कुमार शर्मा

निदेशक

डीआइएनः 01970515

तिथिः 10.09.2026

स्थानः मेरठ

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

Aavas — SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार'' वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशी जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर–अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रुपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा करायें अन्यथा एक्ट की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूचि के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी का नाम	मांग सूचना की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
सुनीता देवी, राजू राजू, शीतल शीतल, विशाल कुमार जमानतदार : अमन कुमार खाता सं. 221226002570121 व 221226002714239	05 सितम्बर 2026 ₹ 700634/- व ₹ 222055/- 04 सितम्बर 2026	खेत नं. - 644, कूंदा, रीचा तहसील जिला - बरैली **क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट**
स्व. श्रीमती सुनीता जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी श्याम सुन्दर, श्याम सुंदर खाता सं. 231218202966001	05 सितम्बर 2026 ₹ 520674/- 04 सितम्बर 2026	प्लॉट नं. 93 का पूर्वी भाग, स्थित खसरा नं. 514 मौजा महोली, अंदरून बृजराज कॉलोनी, तहसील व जिला मथुरा उ.प्र. **क्षेत्रफल 58 वर्ग मीटर**
हरी शंकर, सोम बाटी खाता सं. 241226004116394	05 सितम्बर 2026 ₹ 139762/- 04 सितम्बर 2026	ई.डब्ल्यू.एस. मकान नं.-डी/06, ब्लॉक-07, तीसरी मंजिल, मेगा इको पार्क योजना, पूरनपुर, कुवांटांडा, बरेली, उत्तर प्रदेश 243123
सुमित सिंह, मधु सिंह खाता सं. 241224604173935	05 सितम्बर 2026 ₹ 1029972/- 04 सितम्बर 2026	प्लॉट नं. 24 खसरा नं. 409 के का हिस्सा, केएच वाके मौजा लांधई तह. व जिला. आगरा उत्तर प्रदेश 283125 **क्षेत्रफल 94.45 वर्ग गज**
अक्षय कुमार, सवीता सवीता, ब्रिजपाल ब्रिजपाल जमानतदार : अरविंद कुमार खाता सं. 241225304491198	05 सितम्बर 2026 ₹ 1072804/- 04 सितम्बर 2026	खसरा नं. 159, स्थित ग्राम मच्छरहेरी तह. व जिला शाहरनपुर उत्तर प्रदेश (भारत) - 247001/ **क्षेत्रफल 152.96 वर्ग मीटर**
चन्दर बीर सिंह, बीना देवी जमानतदार : विकास कुमार खाता सं. 251236804941193	05 सितम्बर 2026 ₹ 1043307/- 04 सितम्बर 2026	वाके-ग्राम/वी कोड 0209, मुहल्ला रविदास नगर नूरपुर, परगना बूढ़तहसील चांदपुर जिला बिजनोर उ.प्र. **क्षेत्रफल 125.11 वर्ग मीटर**
अनुज सैनी, अल्का सैनी, शेर सिंह खाता सं. 241223304564718	05 सितम्बर 2026 ₹ 1021658/- 04 सितम्बर 2026	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 244, ग्राम फरकपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश (भारत) - 251327 / **क्षेत्रफल 215.520 वर्ग मीटर**

स्थान : उत्तर प्रदेश दिनांक 10.09.2026 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

प्रपत्र नं. 14

[विनियम –33(2) देखें]

वसूली अधिकारी कार्यालय– I / II

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–2)

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/109/2026 **09-07-2026**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई–कॉर्पोरेशन बैंक)

बनाम

मैसर्स ग्रुप सिक्योरिटी एलाइड सर्विसेज

सेवा में,

(सीडी1) मैसर्स ग्रुप सिक्योरिटी एलाइड सर्विसेज बी–508, सुशांत लोक फेज–1, गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा–122001 **साथ हीः** बी– प्लॉट नंबर 566, उद्योग विहार–5, डाकघर के पास, गुरुग्राम, हरियाणा **साथ हीः** बी–417, प्रथम तल, सुशांत लोक–1, गुरुग्राम, हरियाणा–122009 **साथ हीः** फ्लैट नंबर 108, आइवरी टावर्स रिट्रीट कॉम्प्लेक्स, साउथ सिटी–1, गुरुग्राम, हरियाणा **साथ हीः** डी–220, रतुआ मोहल्ला, कुमार चौक के पास, पृथला, पलवल–121102 **साथ हीः** फ्लैट नंबर 566, तृतीय तल, फेज– II, ओमेक्स सिटी, पलवल

(सीडी2) श्री महेश तंवर पुत्र श्री विजय पाल फ्लैट नंबर 232, सपना घर अपार्टमेंट, पॉकेट–6बी, सेक्टर– II, द्वारका, नई दिल्ली **साथ हीः** डी–220, रतुआ मोहल्ला, कुमार चौक के पास, पृथला, पलवल–121102

यह सूचित किया जाता है कि **ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (DRT 2)** के पीठासीन अधिकारी द्वारा **TA/726/2022** पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, **रु 9290061 (केवल बानवे लाख नब्बे हजार इकसठ रुपये)** की राशि, **20/11/2018** से वसूली होने तक **@ 12.25 %** साधारण सालाना ब्याज के साथ, और इसके अलावा **95,000 (केवल पचानवे हजार रुपये)** का खर्च आपके विरुद्ध (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से / पूर्ण / सीमित) देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **30.09.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।

(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 09.07.2026 को दिया गया।

हस्ता/–

ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–2)

डेविन संस रिटेल लिमिटेड

CIN: L14101DL2022PLC393510

पंजीकृत कार्यालयः 609, छठा तल, पी.पी. सिटी सेंटर, प्लॉट नं. 3, रोड नं. 44, पीतमपुरा, रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110034, भारत। फोन नं.: 01149092127,ईमेल आईडीः info@davinsonsretail.com, वेबसाइटः Davin Sons Retail Ltd.

04वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि डेविन संस रिटेल लिमिटेड ("कंपनी") की 04वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") एजीएम की सूचना में वर्णित कार्यों को निष्पादित करने के लिए बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को दोप. 03:00 बजे (भा. मा. स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और इस संबंध में जारी बाद के परिपत्रों, जिनमें नवीनतम परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 है, और सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुसार, कंपनी ने एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को निष्पादित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 08 सितंबर, 2025 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी है जिनके ईमेल पते कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट या डिपेजिटरी के पास पंजीकृत हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 36(1)(बी) के अनुसार, जिन शेयरधारकों की ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एक पत्र भेजा गया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए वेब-लिंक और पाथ प्रदान किया गया है।

2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट Davin Sons Retail Ltd. पर, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के नियम 44 और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण सभा पर सीक्रेटेरियल स्टैंडर्ड - 2 के अनुपालन में, कंपनी को एजीएम में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट डालने के अधिकार का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान करते हुए खुशी हो रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी, और एजीएम के दौरानई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है।

क)	ई–वोटिंग के लिए कट–ऑफ तिथि	बुधवार, 23 सितंबर, 2026
ख)	रिमोट ई–वोटिंग का प्रारंभ	रविवार, 27 सितंबर, 2026 सुबह 09:00 बजे से
ग)	रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति	मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 शाम 05:00 बजे तक

सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों पर रिमोट माध्यम से या एजीएम के दौरान अपना वोट डालने का अवसर होगा। डिमटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले और जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, ऐसे सदस्यों के लिए रिमोट माध्यम से या एजीएम के दौरान वोट करने का तरीका एजीएम बुलाने की सूचना में प्रदान किया गया है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक, जो ईमेल के माध्यम से सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर या इश्यूअर/आरटीए को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, 4थी मंजिल, 'ए' विंग ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 से संपर्क करें या evoting@nsdl.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नं. 1800 210 9911 पर कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का संदर्भ लें।

डेविन संस रिटेल लिमिटेड के लिए

हस्ता./–

मोहित अरोड़ा

प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 07231072

दिनांकः 08.09.2026

स्थानः नई दिल्ली

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड

सीआईएनः L01111DL1995PLC107286

पंजीकृत कार्यालय : सी–47 जी/एफ, शिवालिक कॉलोनी, मालवीय नगर, शेमरॉक स्कूल के पास, मालवीय नगर (दक्षिण दिल्ली), दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110017. **ईमेल आईडी :** srusteels95@gmail.com; **वेबसाइट :–** www.sru-steels.com; **फोन** +91 7567730702

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, यथा संशोधित ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के विनियम 33 के अनुपालन में, एसआरयू स्टील्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मंगलवार, 08 सितंबर, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों और वित्तीय विवरण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैसर्स बिहारी शाह एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नामतः बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट नामतः www.sru-steels.com पर भी उपलब्ध हैं। सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 47 के अनुपालन में हम एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं कि ये परिणाम नीचे दिए गए क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड स्कैन करके भी देखे जा सकते हैं।

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ता /–

अखिल अरोड़ा

प्रबंध निदेशक और सीएफओ

(डीआईएन : 11329665)

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 09 सितंबर, 2026

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

SBFC

पंजीकृत कार्यालयः– यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकला, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059

शाखा का पताः एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, ओ–7, प्रथम तल, लाजपत नगर– II, नई दिल्ली–110024।

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

नीचे उल्लिखित सुरक्षित आस्ति का कब्जा एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए लिए जाने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद लिफाफों में अचल संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव/बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है, जो सुरक्षित लेनदार के कब्जे में है, "जैसी है जहां है के आधार पर", "जैसी है जो है के आधार पर" और "जैसी है जो कुछ भी है के आधार पर"। नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित प्रत्येक संपत्ति के विरुद्ध होगा और तदनुसार बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% होगी, जिसे इच्छुक बोलीदाता(ओं)/क्रेता(ओं) द्वारा बोली के साथ "एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डीडी/पीओ के माध्यम से एसबीएफसी शाखा कार्यालय "एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, ओ–7, प्रथम तल, लाजपत नगर– II, नई दिल्ली–110024" में 28.09.2026 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) जमा करना आवश्यक होगा। सफल बोलीदाता/क्रेता बिक्री प्रतिफल का कम से कम 25% (बोली के साथ भुगतान की गई ईएमडी राशि सहित, बिक्री की पुष्टि के उसी दिन या अगले कार्य दिवस से देर नहीं, जमा करेगा। शेष बिक्री प्रतिफल बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक होगा। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का पता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (आर.पी.)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आर.पी. का 10%)	कुल ऋण बकाया राशि (दिनांक 31.08.2026 तक
1. विनोद कॉफी कोल्ड्रिंक शॉप, मयूर विहार, पीएच–1, गैलेरिया मॉल, गेट नंबर 3, दिल्ली– 110091 2. विरेन्द्र कुमार, 3. दुर्गा देवी, 4. राम किशोर, 5. गोमती देवी, पताः बाईके झुग्गी कैंप, यमुना खादर, चिल्ला सरोदा खादर, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110091 और साथ ही, 1क विनोद कॉफी कोल्ड्रिंक शॉप, फ्लैट नं.सी–6, दूसरी मंजिल पर, प्लॉट नं.एफ–20 और प्लॉट नं.एफ–21,खसरा नंबर 156ए, साई उपवन, गांव यूसुफपुर चक सबेरी, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश–201012	मांग सूचना की तिथि 06.03.2023 रु. **11,86,493/-** (रु. ग्यारह लाख छियासी हजार चार सौ तिरानवे मात्र) दिनांक 02.03.2023 तक प्लस दिनांक 03.03.2022 से लागू ब्याज इत्यादि	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. सी–6 दूसरी मंजिल क्षेत्रफल 34 वर्ग मीटर (बिना छत के अधिकार) प्लॉट नंबर एफ–20 और एफ–21 खसरा नंबर 156ए, साई उपवन गांव यूसुफपुर दादरी गौतम बुध नगर	रु. **9,50,000/-** (रु. नौ लाख पचास हजार मात्र)	रु. **95,000/-** (रु. पिच्चानवे हजार मात्र)	रु. **18,57,530/-** (रु. अठ्ठारह लाख सत्तावन हजार पाँच सौ तीस मात्र)

1. निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्रों में मुहरबंद बोली/प्रस्ताव, बयाना राशि तथा स्व-सत्यापित केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि 28/09/2026 को या उससे पूर्व 05:00 बजे अपराह्न है, जो यहां ऊपर उल्लिखित प्रधान/शाखा कार्यालय के पते पर जमा किया जाना है। जो निविदाएं/बोलियां भरी हुई नहीं हैं अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अमान्य मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकार कर दी जाएंगी। 2. बयाना राशि का भुगतान नई दिल्ली-110024 में देय मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से "एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में किया जाना चाहिए, जो असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 21/09/2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न के बीच है। 4. संपत्ति की बोली/प्रस्ताव खोलने की तिथि (नीलामी तिथि) 29/09/2026 को उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर 12:30 बजे अपराह्न है। निविदा/बोली प्राधिकृत अधिकारी तथा सभी बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी। 5. बोली 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) के वृद्धि मूल्य से प्रारंभ होगी। इसके पश्चात सभी बोलियां वृद्धि मूल्य के गुणकों में बढ़ाई जाएंगी। 6. संपत्ति उस बोलीदाता को बेची जाएगी जो सर्वाधिक बोली राशि उद्धृत करेगा। आपसी बोली प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेकाधिकार पर होगी। तथापि, प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री को स्थगित/आगे के लिए टालने की पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा। संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 7. सूचना में उल्लिखित बकाया राशि तथा आकस्मिक व्यय, लागत आदि पर ऋण करार के अनुसार लागू होने वाला अतिरिक्त ब्याज उसकी वसूली तक देय और भुगतान योग्य होगा। 8. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त प्रधान/शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं। 9. सभी शुल्क, प्रभार, कर, जिनमें अंतरण/हस्तांतरण प्रभार, अवैतनिक विद्युत शुल्क, नगर निगम/स्थानीय कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, केवल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 10. नीलामी क्रेता/सर्वोच्च बोलीदाता आयकर नियमों के अनुसार लागू स्रोत पर कर कटौती, वर्तमान में 1%, बिक्री के विरुद्ध एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (एसबीएफसी) के स्थायी खाता संख्या में जमा करेगा और बिक्री प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व अपेक्षित प्रपत्र/दस्तावेज, वर्तमान में प्रपत्र 26क्यूबी कहलाता है, आरएफएल के पास जमा करेगा। उक्त स्रोत पर कर कटौती की राशि नीलामी क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल में से काटी जाएगी। 11. प्रतिभूत संपत्ति पर सभी देय राशि/बकाया/अवैतनिक कर, जिसमें बिक्री कर, संपत्ति कर आदि सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, अथवा प्रतिभूत संपत्ति पर कोई अन्य देय राशि, वैधानिक अथवा अन्यथा, क्रेता द्वारा अलग से वहन की जाएगी। 12. प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार: शून्य। 13. सफल बोलीदाता बोली राशि का 25% (बयाना राशि समायोजित करने के पश्चात) तत्काल जमा करेगा और शेष 75% राशि 15 दिनों के भीतर देय होगी। बिक्री मूल्य का उपरोक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहने पर सभी जमा राशियां, जिसमें बयाना राशि भी शामिल है, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जब्त कर ली जाएगी। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में शेष 75% भुगतान करने हेतु अतिरिक्त उचित समय का विस्तार देना प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेकाधिकार पर होगा। 14. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उसकी जानकारी, विश्वास एवं अभिलेखों के अनुसार सर्वोत्तम रूप से दिए गए हैं। किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक आदि के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा। 15. बोली हस्तांतरणीय नहीं है। क्रेता(ओं)/सफल बोलीदाता(ओं) और/या उनके माध्यम से या उनके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूत संपत्ति की बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार नहीं होगा। 16. बैंकर्स चेक या मांग ड्राफ्ट "एम/एस. एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में नई दिल्ली-110024 में देय होना चाहिए। 17. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना एतद्द्वारा दी जाती है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी। यदि उधारकर्ता बिक्री की तिथि से पूर्व एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) को देय राशि का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो नीलामी रोकी जा सकती है। 18. उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे यहां ऊपर वर्णित अचल संपत्ति को बिक्री के नियम एवं शर्तों के विवरण के अनुसार खरीदने के इच्छुक खरीदारों/क्रेताओं को ला सकते हैं। 19. इच्छुक पक्ष आगे के विवरण/स्पष्टीकरण तथा अपना आवेदन/बोली जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी: श्री सुनील कुमार, मोबाइल नं. +91 9910190890, ई-मेल आईडी: suneel.kumar2@sbfc.com प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित शर्मा, मोबाइल नं. +91 8588015491, ई-मेल आईडी: rohit.sharma8@sbfc.com 20. स्थानीय भाषा में प्रकाशित प्रकाशन में किसी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय भाषा के समाचार पत्र पर प्रभावी होगा।

स्थानः नई दिल्ली–110024 | हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,

तिथिः 10 सितम्बर 2026 | मैसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

मैक्सपोज़र लिमिटेड

Maxposure — Content to ROI

CIN: L22229DL2006PLC152087

पंजीकृत कार्यालयः ग्राउंड फ्लोर, 62, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज़-3, नई दिल्ली – 110020

फोनः +91 (11) 43011111. ई-मेलः cs@maxposuremedia.com, वेबसाइटः www.maxposuremedia.com

नोटिस

इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मैक्सपोज़र लिमिटेड ("द कंपनी") के सदस्यों की 20वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को शाम 4:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") की मदद से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एमसीए सामान्य परिपत्र 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 को अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ा जाएगा। ये परिपत्र कंपनी को अनुमति देते हैं कि वह सदस्यों की एक ही स्थान पर उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित कर सकती है। अतः कंपनी के सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्य कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मेल) के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल पता कंपनी के आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है।

इसके अतिरिक्त, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुपालन में, वेब-लिंक वाला एक पत्र, जहां एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट का संपूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है, उन शेयरधारकों को भी भेजा गया है, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, किन्तु उनका नाम शुक्रवार, 4 सितंबर, 2026, यानी कट-ऑफ तारीख को रजिस्टर में दिख रहा है।

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों-2014 के नियम 20 और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को बिगशेयर/ई-वोटिंग एजेंसी की सेवाओं के माध्यम से एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 है।

अधिनियम की धारा 91 और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि एजीएम के मद्देनज़र कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर/कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 26 सितंबर, 2026 से बुधवार, 30 सितंबर, 2026 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करके ई-मेल पता पंजीकृत अवश्य कराएँ। सदस्यों को उनके ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन, वीसी/ओएवीएम के जरिए 20वीं एजीएम में हिस्सा लेने के तरीके और ई-वोटिंग के तरीके के बारे में पूरी जानकारी एजीएम की सूचना में दी गई है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (ए) 20वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा ही किया जाएगा। (बी) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (केवल ईमेल द्वारा) का डिस्पैच कार्य मंगलवार 8 सितंबर, 2026 को पूरा हो गया है। (सी) रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 27 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। (डी) मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। (ई) 20वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.maxposuremedia.com और बिगशेयर की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com पर उपलब्ध है तथा (एफ) ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं उसका तरीका जानने हेतु और एजीएम में (वीसी/ओएवीएम के माध्यम से) शामिल होने के लिए, सदस्य एजीएम की सूचना के नोट 22 में दिए गए निर्देशों को देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन के तहत 'शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश' अथवा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और आई-वोट ई-वोटिंग मॉड्यूल https://ivote.bigshareonline.com पर देखे जा सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त सूचना/वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बनता है और शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 (ईवोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि को शेयर-धारक है) उस स्थिति में वह ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित उपरोक्त निर्देशों का पालन कर सकता है। साथ ही, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकता है। जो सदस्य पहले से ही डिपॉजिटरीज़ में ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।

एजीएम में भाग लेने वाले उन सदस्यों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

सुश्री पारुल जैन, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या : F8323) को आगामी एजीएम के लिए संवीक्षक (Scrutinizer) नियुक्त किया गया है ताकि आने वाली एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रोसेस और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा की जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री संदीप मोरे, प्रबंधक, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय संख्या एस6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400093 से की जा सकती हैं अथवा आप sandeep@bigshareonline.com पर ईमेल भेज सकते हैं या +9170454 54395 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिए गए सभी निर्देशों/टिप्पणियों, विशेष रूप से एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

मैक्सपोज़र लिमिटेड की ओर से

Sd/-

प्रिया केसरी

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

एमएस 22710

दिनांकः 10.09.2026

स्थानः नई दिल्ली

Govt orders removal of websites, apps of 15 crypto platforms

FE BUREAU
New Delhi, September 9

THE GOVERNMENT HAS ordered the removal of websites and application of 15 virtual digital asset service-providers (VDA SPs) for non-compliance with anti-money laundering rules, the finance ministry said on Wednesday.

The financial intelligence unit-India (FIU-IND) ordered the action against Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT and Guardarian.

The director, FIU-IND, issued notices for the takedown of application/URLs of the said VDA SPs for public access as they were found to be "operating illegally" without complying with the relevant provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PML) Act, 2002.

"The VDA SPs operating in India (whether offshore or onshore) and engaged in activities like exchange between virtual digital assets and fiat currencies, transfer of virtual digital assets, safekeeping or administration of virtual digital assets or instruments enabling control over virtual digital assets etc. are required to be registered with FIU-IND as Reporting Entity and comply with the set of obligations as mandated under Prevention of Money Laundering Act, 2002(PMLA) and Rules framed there under," the ministry said in a release.

"These obligations are activity-based and are not contingent on physical presence of the entity in India. The regulation casts reporting, record keeping, and other obligations on the VDA SPs under the PML Act which also includes registration with the FIU-IND."

Crypto products and Non-Fungible Tokens (NFTs) are unregulated and can be highly risky, the ministry said. "There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions."

The government and the Reserve Bank of India (RBI) have repeatedly warned about risks related to cryptocurrencies. Reports earlier this year had said that the government and the RBI prefer tighter curbs on virtual digital assets even in the absence of a formal policy to ban or regulate such assets. The RBI is in favour of a cryptocurrency policy leaning towards prohibition, a media report had said in July.

In January, Chief Economic Adviser V Anantha Nageswaran had said that the government and RBI's views on cryptocurrencies are aligned.

The RBI has previously cautioned against the popularity of stablecoins, saying these assets raise concern for both monetary policy and financial stability in emerging market developing economies like India. The central bank has also said that crypto should not be legalised in the country.

The government and the RBI have repeatedly pitched that the central bank digital currency (CBDC) as a superior alternative to cryptocurrencies.

DIGITAL CRACKDOWN

- All 15 providers allegedly operated without mandatory PMLA compliance and registration
- Action targets Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex and Toobit platforms
- XT.com, Latoken, WOO X, Pionex and ChangeNow also face takedowns
- VDA platforms must register with FIU-IND as reporting entities operating India
- RBI has repeatedly warned about cryptocurrencies

Centre defends GST data amid claims of manipulation

SHUBHAM RANA
New Delhi, September 9

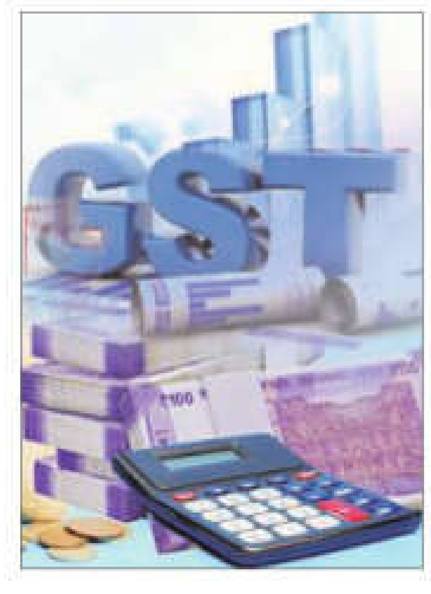

THE CENTRAL BOARD of Indirect Taxes and Customs (CBIC) on Wednesday defended the reported strong growth in goods and services tax (GST) collections in FY27 so far after former finance secretary Subhash Chandra Garg claimed the data is being manipulated to show high mop-up.

In an article on Tuesday, Garg claimed the government is manipulating data by showing the 11% growth in April-August GST collections while excluding cess collections.

Gross GST collections rose 14.8% year-on-year to ₹2 lakh crore in August while April-August collections were up 11% at ₹10.4 lakh crore.

GST revenue post-refunds rose 8.3% on year in August to ₹1.68 lakh crore and up 9% in the five months to August at ₹8.89 lakh crore.

"When (cess is) included, 5 month gross GST growth becomes 4.08% and net 1.30%, a pathetic performance," Garg said. "There is an unfortunate but increasing tendency to manipulate data to suit narratives," Garg said.

Refuting this, the CBIC said that the GST revenue figures reflect the correct picture of GST revenue performance.

The GST Council discontinued the compensation cess from September 22, 2025 on all items except tobacco and related products. The cess levy on tobacco and related products was also removed from February 1, 2026. Accordingly, from the above period, there is no cess collection, the CBIC said.

Since November 2025, GST revenue figures published publicly showed compensation cess separately in a table below and the year-on-year growth was computed on the tax base consisting of CGST, SGST and IGST for the corresponding periods, the CBIC said in a post on X, formerly Twitter.

"Where a levy has ceased to exist in law, retaining it in the base measures something else altogether. It is neither arithmetically right nor makes any logical sense," the CBIC said. "A growth rate is meaningful only when it is computed on a comparable basis, that is, on the same set of levies on both sides of the comparison. Otherwise, it is like comparing apples and oranges."

The CBIC added that the purpose of a growth figure is to show how the tax base has moved.

Any attempt to cherry-pick figures from two different tax bases is "thoroughly misleading and mischievous," the CBIC said.

"A fair analysis must compare like with like, instead of misleading our citizens by comparing two fundamentally different datasets."

Australia flags India's sugarcane support at WTO

AUSTRALIA HAS STEPPED up pressure on India at the WTO, alleging that New Delhi's market price support for sugarcane between 2018-19 and 2024-25 is far above the permitted product-specific support limit of 10% of production. **FE BUREAU**

CIL output rises 40% as rains ease

SAURAV ANAND
New Delhi, September 9

STATE-RUN COAL INDIA'S (CIL) daily coal production jumped 40% to around 1.91 million tonne (MT) on September 8, from an average 1.36 MT during September 1-3, as receding monsoon rains helped restore mining operations and accelerate supplies to power plants.

Coal dispatches to the power sector also rose sharply. Average daily supplies increased 27% to 1.74 MT on September 8, from 1.37 MT per day during the first three rain-affected days of the month. The improvement has pushed coal supplies to power plants gradually towards pre-monsoon levels, CIL said.

The recovery was sharper at Northern Coalfields (NCL), one of CIL's major producing subsidiaries, where coal output on September 8 rose 67% and supplies increased 75% compared with the average during September 1-3.

Cement firms line up green power push

SAURAV ANAND
New Delhi, September 9

INDIA'S LEADING CEMENT companies are set to raise their green power capacity by nearly 50% to 5.8-6 GW by March 2028, from around 4 GW in March 2026, backed by planned investments of ₹12,000-13,000 crore over the next two years.

The additional capacity could generate annual savings of ₹6,200-6,700 crore, translating into a payback period of just 1.8-2.2 years, as cement makers increasingly turn to renewable power to lower energy costs and reduce exposure to fuel-price volatility.

Every 5% increase in green power replacement can reduce power and fuel costs by ₹15-16 per tonne, while a 25% replacement could lower costs by ₹75-80 per tonne and expand operating margins by 140-160 basis points, according to Icra.

"The highly energy-intensive nature of cement manufacturing, coupled with persistent fuel price volatility and supply-side risks, is driving the sector's transition towards green power," said Anupama Reddy, vice president and group head, corporate ratings, Icra.

Govt orders removal of websites, apps of 15 crypto platforms

FE BUREAU
New Delhi, September 9

DIGITAL CRACKDOWN

- All 15 providers allegedly operated without mandatory PMLA compliance and registration
- Action targets Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex and Toobit platforms
- XT.com, Latoken, WOO X, Pionex and ChangeNow also face takedowns
- VDA platforms must register with FIU-IND as reporting entities operating India
- RBI has repeatedly warned about cryptocurrencies

THE GOVERNMENT HAS ordered the removal of websites and application of 15 virtual digital asset service-providers (VDA SPs) for non-compliance with anti-money laundering rules, the finance ministry said on Wednesday.

The financial intelligence unit-India (FIU-IND) ordered the action against Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT and Guardarian.

The director, FIU-IND, issued notices for the takedown of application/URLs of the said VDA SPs for public access as they were found to be "operating illegally" without complying with the relevant provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PML) Act, 2002.

"The VDA SPs operating in India (whether offshore or onshore) and engaged in activities like exchange between virtual digital assets and fiat currencies, transfer of virtual digital assets, safekeeping or administration of virtual digital assets or instruments enabling control over virtual digital assets etc. are required to be registered with FIU-IND as Reporting Entity and comply with the set of obligations as mandated under Prevention of Money Laundering Act, 2002(PMLA) and Rules framed there under," the ministry said in a release.

"These obligations are activity-based and are not contingent on physical presence of the entity in India. The regulation casts reporting, record keeping, and other obligations on the VDA SPs under the PML Act which also includes registration with the FIU-IND."

Crypto products and Non-Fungible Tokens (NFTs) are unregulated and can be highly risky, the ministry said. "There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions."

The government and the Reserve Bank of India (RBI) have repeatedly warned about risks related to cryptocurrencies. Reports earlier this year had said that the government and the RBI prefer tighter curbs on virtual digital assets even in the absence of a formal policy to ban or regulate such assets. The RBI is in favour of a cryptocurrency policy leaning towards prohibition, a media report had said in July.

In January, Chief Economic Adviser V Anantha Nageswaran had said that the government and RBI's views on cryptocurrencies are aligned.

The RBI has previously cautioned against the popularity of stablecoins, saying these assets raise concern for both monetary policy and financial stability in emerging market developing economies like India. The central bank has also said that crypto should not be legalised in the country.

The government and the RBI have repeatedly pitched that the central bank digital currency (CBDC) as a superior alternative to cryptocurrencies.

Centre defends GST data amid claims of manipulation

SHUBHAM RANA
New Delhi, September 9

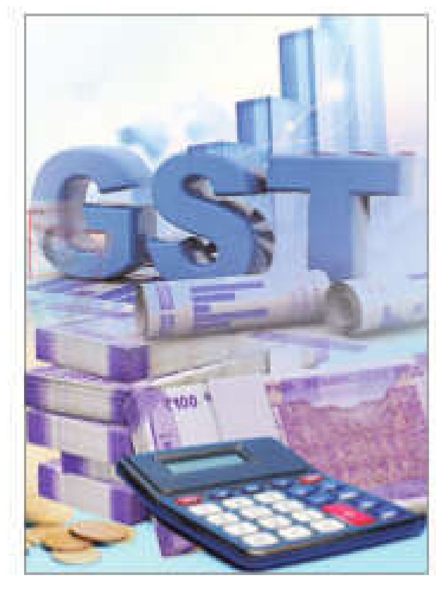

THE CENTRAL BOARD of Indirect Taxes and Customs (CBIC) on Wednesday defended the reported strong growth in goods and services tax (GST) collections in FY27 so far after former finance secretary Subhash Chandra Garg claimed the data is being manipulated to show high mop-up.

In an article on Tuesday, Garg claimed the government is manipulating data by showing the 11% growth in April-August GST collections while excluding cess collections.

Gross GST collections rose 14.8% year-on-year to ₹2 lakh crore in August while April-August collections were up 11% at ₹10.4 lakh crore.

GST revenue post-refunds rose 8.3% on year in August to ₹1.68 lakh crore and up 9% in the five months to August at ₹8.89 lakh crore.

"When (cess is) included, 5 month gross GST growth becomes 4.08% and net 1.30%, a pathetic performance," Garg said. "There is an unfortunate but increasing tendency to manipulate data to suit narratives," Garg said.

Refuting this, the CBIC said that the GST revenue figures reflect the correct picture of GST revenue performance.

The GST Council discontinued the compensation cess from September 22, 2025 on all items except tobacco and related products. The cess levy on tobacco and related products was also removed from February 1, 2026. Accordingly, from the above period, there is no cess collection, the CBIC said.

Since November 2025, GST revenue figures published publicly showed compensation cess separately in a table below and the year-on-year growth was computed on the tax base consisting of CGST, SGST and IGST for the corresponding periods, the CBIC said in a post on X, formerly Twitter.

"Where a levy has ceased to exist in law, retaining it in the base measures something else altogether. It is neither arithmetically right nor makes any logical sense," the CBIC said. "A growth rate is meaningful only when it is computed on a comparable basis, that is, on the same set of levies on both sides of the comparison. Otherwise, it is like comparing apples and oranges."

The CBIC added that the purpose of a growth figure is to show how the tax base has moved.

Any attempt to cherry-pick figures from two different tax bases is "thoroughly misleading and mischievous," the CBIC said.

"A fair analysis must compare like with like, instead of misleading our citizens by comparing two fundamentally different datasets."

Australia flags India's sugarcane support at WTO

AUSTRALIA HAS STEPPED up pressure on India at the WTO, alleging that New Delhi's market price support for sugarcane between 2018-19 and 2024-25 is far above the permitted product-specific support limit of 10% of production. **FE BUREAU**

CIL output rises 40% as rains ease

SAURAV ANAND
New Delhi, September 9

STATE-RUN COAL INDIA'S (CIL) daily coal production jumped 40% to around 1.91 million tonne (MT) on September 8, from an average 1.36 MT during September 1-3, as receding monsoon rains helped restore mining operations and accelerate supplies to power plants.

Coal dispatches to the power sector also rose sharply. Average daily supplies increased 27% to 1.74 MT on September 8, from 1.37 MT per day during the first three rain-affected days of the month. The improvement has pushed coal supplies to power plants gradually towards pre-monsoon levels, CIL said.

The recovery was sharper at Northern Coalfields (NCL), one of CIL's major producing subsidiaries, where coal output on September 8 rose 67% and supplies increased 75% compared with the average during September 1-3.

Cement firms line up green power push

SAURAV ANAND
New Delhi, September 9

INDIA'S LEADING CEMENT companies are set to raise their green power capacity by nearly 50% to 5.8-6 GW by March 2028, from around 4 GW in March 2026, backed by planned investments of ₹12,000-13,000 crore over the next two years.

The additional capacity could generate annual savings of ₹6,200-6,700 crore, translating into a payback period of just 1.8-2.2 years, as cement makers increasingly turn to renewable power to lower energy costs and reduce exposure to fuel-price volatility.

Every 5% increase in green power replacement can reduce power and fuel costs by ₹15-16 per tonne, while a 25% replacement could lower costs by ₹75-80 per tonne and expand operating margins by 140-160 basis points, according to Icra.

"The highly energy-intensive nature of cement manufacturing, coupled with persistent fuel price volatility and supply-side risks, is driving the sector's transition towards green power," said Anupama Reddy, vice president and group head, corporate ratings, Icra.

Chhatrapati Shivaji Maharaj
International Airport, Mumbai

1st floor, Terminal 1, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Santacruz (E), Mumbai - 400 099.

EXTENSION OF EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

Mumbai International Airport Limited (MIAL), the concessionaire of CSMIA, Mumbai is inviting accredited agencies to submit their EOI for **"INTERIOR FACADE & MEPF WORKS OF AIRPORT TRAINING CENTER & GUEST ROOMS PROJECT AT TERMINAL-1 OF CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ INTERNATIONAL AIRPORT, MUMBAI"**

Interested agencies are requested to visit the website, **www.csmia.adaniairports.com** and obtain the EOI documents.

EOI documents shall be available for download till 5:00 pm IST on 17th September 2026.

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
H.O., 112, J. C. ROAD, BENGALURU-560 002

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES

Pursuant to the SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, all shareholders are hereby informed that a special window to facilitate transfer and dematerialisation ("demat") of physical securities which were sold/ purchased prior to April 1, 2019 has been opened for a period of one year from February 05, 2026 to February 04, 2027.

This facility is available for transfer deeds lodged prior to April 1, 2019 and which were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/ otherwise.

Investors may submit their request along with necessary documents till February 04, 2027, with the Registrar & Transfer Agent (RTA) of the Bank.

The details of RTA are as under:

KFin Technologies Limited
(Unit: Canara Bank)
Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 Toll Free No.: 1800-309-4001
Email: einward.ris@kfintech.com

We also request all the shareholders to update KYC details including PAN, Email ID, Address, Mobile Number and Bank Account Details with the DP (if shares are held in demat form) or with RTA (if shares are held in physical form), to ensure the ease of communication and seamless payment of dividend.

Shareholders holding shares in physical form are requested to demat their shares, by submitting share certificate to their Depository Participant (DP).

Bank had released previous newspaper advertisement on special window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities on April 02, 2026, June 09, 2026 and July 22, 2026.

Transfer and Dematerialisation of Physical Securities requests submitted after February 04, 2027 will not be accepted by the Bank/RTA.

Place: Bengaluru
Date: 10.09.2026

SD/-
Santosh Kumar Barik
Company Secretary

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED
CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar – 135001, Haryana
Tel. 0129-4006885; **Website:** www.jaispring.com
Email Id: investor.relations@jaispring.com

Opening of Special Window for Re-Lodgement of Transfer Request of Physical Shares

Notice is hereby given that the Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, had provided a special window for a period of 6 months from July 07, 2025 till January 06, 2026 for re-lodgement of transfer deeds relating to physical shares, which were earlier lodged by investors for transfer prior to April 01, 2019 but were rejected, returned, or left unattended due to deficiencies in the documents, process or otherwise.

SEBI vide Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-PoD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026 has extended this special window for a further period of one (1) year, from February 05, 2026 to February 04, 2027. Eligible investors may re-lodge such transfer deeds with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), along with the requisite documents, on or before February 04, 2027. Pursuant to the said circular, securities re-lodged for transfer shall be issued only in dematerialized form after completion of the prescribed transfer-cum-demat process. The securities transferred under this window shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred, lien - marked or pledged during the lock-in period.

The investors may also approach Company's RTA for any clarification on this subject at Skyline Financial Services Pvt. Ltd., D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Ph:011-40450193-197, Email: grievances@ skylinerta.com; parveen@skylinerta.com.

Yours faithfully
For Jamna Auto Industries Ltd.
Sd/-
Praveen Lakhera
Company Secretary & Head Legal

Place: Faridabad
Date: September 09, 2026

NOTICE
kotak Mutual Fund

Distribution of Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') under Kotak Equity Savings Fund

Notice is hereby given that in accordance with Dividend ('IDCW') Policy approved by Kotak Mahindra Trustee Company Limited (the Trustee to Kotak Mahindra Mutual Fund), the distribution under Monthly IDCW Option of Kotak Equity Savings Fund, is as under:

Name of the Scheme	Quantum of IDCW (Rs. per unit)*	Record Date#	Face Value (Rs. per Unit)	NAVs as on September 08, 2026 (Rs.)
Kotak Equity Savings Fund - Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0769	September 15, 2026	10	21.9767

*Distribution of the above IDCW is subject to the availability and adequacy of distributable surplus.

If the record date is not a Business Day, the immediately following Business Day will be the record date.

Note: The Payment of IDCW will be subject to deduction of applicable statutory Levy.

Pursuant to payment of IDCW, the NAVs of the IDCW Options of the Scheme would falls to the extent of payout and statutory levy if any.

All Unit Holders / Beneficial Owners of the above mentioned IDCW Options of the scheme, whose names appear in the records of the Registrar, Computer Age Management Services Ltd. / Depositories as on September 15, 2026 will be eligible to receive the IDCW.

For Kotak Mahindra Asset Management Company Limited
Investment Manager – Kotak Mahindra Mutual Fund

Mumbai
September 09, 2026

Sd/-
Authorised Signatory

Any queries / clarifications in this regard may be addressed to:
Kotak Mahindra Asset Management Company Limited
CIN: U65991MH1994PLC080009 (Investment Manager for Kotak Mahindra Mutual Fund)
6th Floor, Kotak Towers, Building No.21, Infinity Park, Off: Western Express Highway, Goregaon - Mulund Link Road, Malad (East), Mumbai - 400 097.
Phone Number: 18003091490 / 044-40229101 • Email: mutual@kotak.com • Website: www.kotakmf.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SUNDARAM MUTUAL
Sundaram Finance Group

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of the Schemes of Sundaram Mutual Fund ('Fund')

REVISION OF PRODUCT LABELLING ('RISK-O-METER') OF SCHEMES OF SUNDARAM MUTUAL FUND

NOTICE is hereby given to the investors / unit holders that pursuant to clause 6.16.1 of the Master Circular dated March 20, 2026 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/PoD1/CIR/P/2024/150 dated November 05, 2024, the Risk-o-meter of the schemes of Sundaram Mutual Fund ("the Fund") shall stand revised as under.

Name of the Scheme	Existing Risk-o-meter (Based on scheme portfolio as on July 31, 2026)	Revised Risk-o-meter (Based on scheme portfolio as on August 31, 2026)
Sundaram Overnight Fund	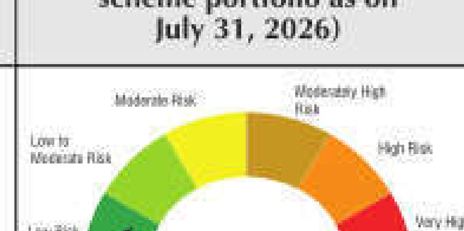 RISKOMETER The risk of the scheme is Low	 RISKOMETER The risk of the scheme is Low to Moderate
Sundaram Liquid Fund	 RISKOMETER The risk of the scheme is Low to Moderate	 RISKOMETER The risk of the scheme is Moderate
Sundaram Money Market Fund	 RISKOMETER The risk of the scheme is Low to Moderate	 RISKOMETER The risk of the scheme is Moderate

Investors are requested to note that, apart from the change in the Risk-o-meters as stated above, there is no other change in the scheme features including nature, investment objective, asset allocation pattern, terms and conditions of the above-mentioned Schemes.

All other terms and conditions of the Scheme Information Document(s) / Key Information Memorandum(s) / Statement of Additional Information will remain unchanged.

This addendum forms an integral part of the Scheme Information Document (SID) / Key Information Memorandum (KIM) / Statement of Additional Information (SAI) to the schemes of Sundaram Mutual Fund as amended from time to time.

For **Sundaram Asset Management Company Limited,**

Place: Chennai
Date: September 10, 2026

R. Ajith Kumar,
Company Secretary & Compliance Officer

For more information please contact:
Sundaram Asset Management Company Ltd
(Investment Manager to Sundaram Mutual Fund)
CIN: U93090TN1996PLC034615

Corporate Office: 1st and 2nd Floor, Sundaram Towers, 46, Whites Road, Royapettah, Chennai-14.
Toll 1860 425 7237 (India) +91 40 2345 2215 (NRI)
www.sundarammutual.com
Regd. Office: No. 21, Patullos Road, Chennai 600 002.

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.